राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2437/2023

महेश कुमार वाधवानी (कर्मचारी आई.डी.–आरजेटीओ 199236010432)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, कृषि विभाग,

सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.09.2023
आदेश की दिनांक : 26.09.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी आलोच्य आदेश दिनांक 21.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अति.प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरान्त कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर द्वारा उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक, आत्मा, अजमेर से संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला टोंक में रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने पूर्व में अपनी पदोन्नति उपरान्त पदोन्नति को फॉरगो किये जाने एवं अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर ही कार्यरत रखने के लिये निवेदन किया था, परन्तु अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने अपनी पारिवारिक कारणों से अपनी पदोन्नति का परित्याग करने की प्रार्थना की थी। फिर भी अपीलार्थी को पदोन्नति के पश्चात स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने पारिवारिक कारणों के मध्यनजर अति. प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति को फॉरगो करने की प्रार्थना की थी, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.07.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.08.2023 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)